प्रेस नोट जनपद बलिया

दिनांक- 15.02.2025

थाना कोतवाली जनपद बलिया पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में हो रही अपराधो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री श्यामकान्त के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.02.2025 को थाना कोतवाली जनपद बलिया पर मु0अ0सं0 65/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा था । उक्त प्रयास के क्रम में आज दि0 15.02.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह का0 मनीष कुमार शुक्ला, का0 पुनीत चौरसिया व का0 शत्रुहन कुमार मय चालक हे0का0 दुर्गा प्रसाद यादव के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जावेद अहमद इस समय काजीपुरा रेलवे क्रासिंग के पास खडा और कहीं जाने की फिराक मे यदि जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है मुखबिर खास की सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुचकर ***अभियुक्त जावेद अहमद पुत्र शौकत निवासी शनिचरी मन्दिर बिचलाघाट पोस्ट बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया*** को समय 8.20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 65/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना कोतवाली, जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जावेद अहमद पुत्र शौकत निवासी शनिचरी मन्दिर बिचलाघाट पोस्ट बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना कोतवाली, बलिया
2. का0 मनीष कुमार शुक्ला थाना कोतवाली, बलिया
3. का0 पुनीत चौरसिया थाना कोतवाली, बलिया

4. का0 शत्रुहन कुमार थाना कोतवाली, बलिया

सोशल मीडिया सेल

बलिया पुलिस